'देश में ट्रेड कर रहा है राहुल गांधी भागो मत'

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर युवाओं और देश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठे और भ्रामक बयान देकर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में एक ही सवाल उठ रहा है कि जब संसद की परंपराओं के अनुरूप विपक्ष की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी सदन में उपस्थित होने से क्यों बच रहे हैं।

नाम परिवर्तन

मैं हर्षवर्धन सिंह शेखावत पुत्र प्रदीप सिंह निवासी 9ए, ओकेप्लस एक्सोटिका ग्रीन वेस्ट, कालवाड रोड, सुशांत सिटी-1, झोटवाडा, जयपुर अपना नाम हर्षवर्धन सिंह से बदलकर हर्षवर्धन सिंह शेखावत रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें।

मैंने मेरा नाम नरेन्द्र कुमार शर्मा से बदलकर नरेन्द्र शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे, 50/245, रजत पथ मानसरोवर, जयपुर

खोया पाया

मेरे फ्लैट संख्या सैक्टर-26, बी/4/811 प्रताप नगर, जयपुर का मूल अलोटमेंट लैटर एवं सीड मनी पत्र कहीं गुम हो गये है। मिलेन पर सूचित करें। मनोज सभंनानी, मो. 9024233911

मेरे प्लॉट नंबर 52 अवधपुरी कॉलोनी झोटवाड़ा जयपुर क्षेत्रफल 276.62 वर्गगज का मेरे नाम JDA जयपुर से जारी पट्टा विलेज संख्या 1610 दिनांक 19.10.2000 मय साइट प्लान जो उपपंजीयक जयपुर तृतीय के यहां रजिस्ट्रेशन नंबर 5696 पर दिनांक 21.10. 2000 को पंजीबद्ध है, असल पट्टा, साइट प्लान, स्टैंप कहीं खो गए हैं, जिनका मैंने कही दुरुपयोग नहीं किया है। मिलने पर सूचित करें। रामअवतार खटोड पुत्र श्री मूलचंद खटोड़, 93 RFC कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर- 9829993326

मेरा प्लाट न. 29, रॉयल ग्रीन वाटिका, ग्राम मूंडोता, कालवाड रोड, जयपुर एरिया 500 वर्गगज का मूल आंवटन पत्र, साइड प्लान, रसीद न. A7922 गुम गये है, जिसे सूरजपोलगेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड ने जारी किया था। मिलने पर सम्पर्क करें- कैलाश चन्द यादव पुत्र रोशन लाल यादव-9509648548

जविप्रा की योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या ई-100 का मूल आवंटन एवं जमा की रसीद गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। रेवती रमण जांगिड, मो. 9887888771

मेरे भूखंड सं. 25 भेरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जय जगदम्बा नगर जयपुर का पंजीकृत मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान एवं पट्टे के साथ लगे स्टाम्प पेपर और अन्य दस्तावेज़ कही गुम हो गए है सूचित करे रेखा दीक्षित मो. 8949905861

मेरे भूखंड सं. G-38 निजी खातेदारी की योजना जयपुर ग्रीन्स ग्राम-झाई भाम्बोरिया, छतरपुरा लाल्या का बास, सांगानेर जयपुर का मूल पंजीकृत जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान एवं पट्टे के साथ लगे स्टाम्प पेपर कही गुम हो गए है सूचित करे- उमा जैन मो. 9782650079

मेरे भूखंड सं. 14/OD/S-314 जे.डी.ए. की योजना रिंग रोड परियोजना ग्राम-दयालपुरा तह-सांगानेर जयपुर का पंजीकृत जे.डी.ए. मूल पट्टा, साईट प्लान और कब्ज़ा पत्र कही गुम हो गए है सूचित करे सत्यनारायण मो. 7023353451

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः 2443 -**जाहिर आम सूचना**- दिनांक 23.07.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 104/57 (MIG-B) का आवंटन श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री बैनी प्रसाद जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 6856 दिनांक 08.02.2005 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 15.11.2006 को कर दिया गया। श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री बैनी प्रसाद जैन द्वारा उक्त आवास का विक्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2012 को श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री राम प्रसाद मित्तल के पक्ष में पंजीकृत करवाया गया गया। श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री राम प्रसाद मित्तल द्वारा उक्त आवास का विक्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2024 को श्रीमती इन्द्रा गक्खड पत्नी श्री गोपाल राम गक्खड के पक्ष में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती इन्द्रा गक्खड पत्नी श्री गोपाल राम गक्खड द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपति नही है, श्रीमती इन्द्रा गक्खड पत्नी श्री गोपाल राम गक्खड का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर
नई विधानसभा के पास लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक एफ () /न.नि.ज./मा.न. जोन/2026/ 2601 दि.10.08.2026
सार्वजनिक सूचना:-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 20 पूरोहित जी का बास का पट्टा श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भौरिलाल को क्षेत्रफल 111.63 वर्गगज का दिनांक 17.12.2007 को जारी किया गया है। श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भौरिलाल का स्वर्गवास दिनांक 09.03.2017 को एवं इनकी पत्नि श्रीमती गुलाब देवी का स्वर्गवास दिनांक 28.11.2020 को हो चुका है। श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भौरिलाल के वारिसान श्रीमति कांता देवी एवं श्रीमति प्रेम (बहनों) के द्वारा (अविभाजित) भूखण्ड संख्या 20 पूरोहित जी का बास का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनाक 24.03.2023 के द्वारा अपना-अपना हक आवेदको श्री लालचन्द सैनी एवं श्री तारा चन्द सैनी पुत्रान् श्री गुलाब चन्द सैनी (भाईयो) के हक में निष्पादित किया गया है। आवेदको श्री लालचन्द सैनी एवं श्री तारा चन्द सैनी पुत्रान् श्री गुलाब चन्द सैनी के द्वारा पट्टा, साइट प्लान एवं निष्पावित रजिस्टर्डड हक त्याग पत्र दिनांक 24.03.2023 के आधार पर नगर निगम जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 20 पूरोहित जी का बास जयपुर का नाम हस्तान्तरण श्री लालचन्द सैनी एवं श्री तारा चन्द सैनी पुत्रान् श्री गुलाब चन्द सैनी के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति पश्चात् नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को 16 पीएम ई-बसों की सौगात दी

ई-बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर कर रहे विकसित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में ई-बसों की पूजा-अर्चना करके हरी झण्डी दिखाई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, झाबर सिंह खर्रा, वी. श्रीनिवास मौजूद रहे।

- आमजन को सुगम-किफायती सफर करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
- जनता से किए प्रत्येक वादे को पूरा कर रही डबल इंजन सरकार- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पीएम ई-बस सेवा के तहत जयपुर को 16 ई-बसें समर्पित की। उन्होंने शासन सचिवालय में ई-बसों की विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अवलोकन कर हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन और क्लीन मोबिलिटी के तहत ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। आधुनिक तकनीक के साथ बिना धुएं और आवाज के चलने वाली ये बसें आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण देने के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 8 शहरों में 110 पीएम-ई बसें पहुंच चुकी हैं। पीएम-ई बस सेवा के प्रथम चरण में 8 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर तथा अजमेर के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। वहीं, राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश के लिए अतिरिक्त 475 ई-बसें स्वीकृत की गई। इस तरह राजस्थान के लिए कुल 1 हजार 150 पीएम ई-बसों की मंजूरी मिली है।उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में ई-बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए बस स्टैण्ड, चार्जिंग प्वाइंट सहित विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक वर्ग को सुगम और किफायती सफर करवाने सहित सभी वादों को पूरा कर रही है। इसी दिशा में दूरस्थ ठामीण क्षेत्रों तक परिवहन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों 144 रोडवेज बसों को भी रवाना किया गया था। वहीं, जल्द ही रोडवेज के बेड़े में एक हजार बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक प्रबंधन के चलते हम रोडवेज को घाटे से उबारकर फायदे में लाए हैं और रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन देना सुनिश्चित किया है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

183 आरएएस अधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापन

जयपुर। राजस्थान सरकार ने 183 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निकायों और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

कई अधिकारियों को रिक्त पदों पर भी पदस्थापित किया गया है। महावीर खराड़ी को अतिरिक्त आयुक्त, डीआरडी, उदयपुर लगाया गया है। जबकि पीयूष कुमार श्रीवास्तव को संयुक्त निदेशक, गैंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, उदयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। नरेश नुकर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) राजसमंद से अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) राजस्व न्यायालय पाली, डॉ। अशोक कुमार चतुर्वेदी को अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (जयपुर) और हुकुमचंद को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अलवर की जिम्मेदारी दी गई है।राजवीर सिंह चौधरी को सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर लगाया गया है। अशोक कुमार शर्मा-। को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़ नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार शर्मा को जिला रसद अधिकारी, उदयपुर लगाया गया है। आलोक जैन को उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर नियुक्त किया गया है। आकाश रंजन को सहायक आयुक्त (1), देवस्थान, जयपुर लगाया गया है। जगदीश प्रसाद गौड़ को उपखंड अधिकारी, हिंडौन (करौली) नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार शर्मा को उपखंड अधिकारी, कोटड़ा एवं पदेन उप परियोजना अधिकारी (जनजाति), कोटड़ा (उदयपुर) लगाया गया है। ललित चंद मीणा को विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर नियुक्त किया गया है।

ओम प्रकाश सहराण को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), जोधपुर लगाया गया है। राजकुमार कस्वां को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद नियुक्त किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्राचार्यों के साथ संवाद किया

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित एनआईसी मीटिंग हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) अधिकारियों एवं महाविद्यालय प्राचार्यों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने, मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा महाविद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में 'एक राज्य-एक चुनाव', युवा मतदाता तथा निर्वाचन साक्षरता क्लब की भूमिका से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी गईं।

अधिकरण में दो सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए मांगा समय

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दखल देने के बाद राज्य सरकार की ओर से सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में दो सदस्यों की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को दोनों सदस्यों के नियुक्ति आदेश हाईकोर्ट में पेश कर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता दिलीप कुरका व अन्य की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पूर्व आईएएस अंतर सिंह नेहरा और रिटायर आईएएस वीरेन्द्र सिंह बांकावत को अधिकरण में सदस्य के तौर पर जयपुर पीठ में नियुक्ति दी गई है। दोनों सदस्यों की नियुक्ति अगले तीन साल के लिए हुई है। वहीं अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्ति प्रकियाधीन चल रही है। ऐसे में उन्हें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी है।गौरतलब है कि अदालत ने गत 4 अगस्त को सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के खाली चल रहे पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कार्मिक सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। जनहित याचिका में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए अधिकरण का गठन किया गया है। बीते करीब चार माह से अध्यक्ष का पद खाली है। वहीं एक न्यायिक अधिकारी ही प्रभावी रूप से कार्यरत है। उनके अनुपलब्ध होने पर अधिकरण काम नहीं करता। जिसके चलते अधिकरण में करीब 1300 से अधिक अपीलों पर प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है।

हाईकोर्ट ने पार्क से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाहर नगर के सेक्टर 4 स्थित महावीर उद्यान में हुए अतिक्रमण को 31 दिसंबर तक हटाने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने आवासन मंडल और नगर निगम के आदर्श नगर जोन उपायुक्त से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मधोक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान मामले में पक्षकार बनाए गए जैन श्वेतांबर संघ सेक्टर-4 ने कहा कि पार्क में दीवार वाले ढांचे को 31 दिसंबर तक हटा देंगे। जिस पर खंडपीठ ने संघ को अवैध निर्माण हटाने का समय देते हुए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर व नगर निगम जोन उपायुक्त को कहा कि यदि तय तारीख तक संघ अवैध निर्माण नहीं हटाए तो वे इसे हटाकर पार्क को मूल स्वरूप में वापस लाए। जनहित याचिका में कहा गया कि जवाहर नगर में सार्वजनिक पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा व निर्माण कर लिया है, जिसे हटाया जाए। वहीं नगर निगम ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि पार्क का क्षेत्रफल 4,575 वर्ग मीटर है, लेकिन मौके पर केवल 3,288.65 वर्ग मीटर है। वहां 222.11 वर्ग मीटर क्षेत्र में पक्का आरसीसी निर्माण और नेट और टिन-शेड वाला एक अस्थायी ढांचा है। इसके अलावा बिना छत वाला दीवारों से घिरा एक ढांचा है, जो 624.07 वर्ग मीटर का है। दूसरी ओर संघ ने कहा कि यह निर्माण आवासन मंडल के साथ पार्क के रख-रखाव के संबंध में किए समझौते से किया था।

- हाईकोर्ट ने जवाहर नगर के सेक्टर 4 स्थित महावीर उद्यान में हुए अतिक्रमण को 31 दिसंबर तक हटाने को कहा है

जयपुर में दिनभर बादल छाए रहे। दोपहर में शहर में छितराई बारिस हुई जिससे शहर की कई सड़को पर जल भराव के कारण वाहन चालक परेशान होते रहे।

कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)
Email:-bdabharatpur@rajasthan.gov.in, bdabharatpur@gmail.com
क्रमांक :- भूवि0शाखा/2026/ दिनांक :- 10/08/2026

सार्वजनिक विज्ञिप्त

प्राधिकरण की योजना ट्रांसपोर्ट नगर भरतपुर के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-929 (क्षेत्रफल-50.00 वर्गगज) की लीजडीड माह मार्च 2010 को श्री अचल कुमार ताम्बी पुत्र श्री बद्री प्रसाद ताम्बी जाति वैश्य निवासी ताम्बी हाउस कोठी दलवीर सिंह एस.पी. ऑफिस के पास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज0) के पक्ष में निस्पादित की गई थी, जो उप पंजीयक कार्यालय भरतपुर में दिनांक 19.03.2010 को विधिवत रूप से पंजीबद्ध है। प्राधिकरण में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पट्टाधारक श्री अचल कुमार ताम्बी पुत्र श्री बद्री प्रसाद ताम्बी द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 21.10.2021 को श्रीमती तीक्षा ताम्बी पत्नी श्री रवि ताम्बी जाति वैश्य निवासी ताम्बी हाउस कोठी दलवीर सिंह एस.पी. ऑफिस के पास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज0) को कर दिया गया। उक्त दान-पत्र के आधार पर श्रीमती तीक्षा ताम्बी पत्नी श्री रवि ताम्बी द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु सम्बन्धित पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-929 का नाम परिवर्तन श्रीमती तीक्षा ताम्बी पत्नी श्री रवि ताम्बी के पक्ष में करने पर किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चत करें, अन्यथा बादं गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या-929 योजना ट्रांसपोर्ट नगर भरतपुर का नाम परिवर्तन श्रीमती तीक्षा ताम्बी पत्नी श्री रवि ताम्बी जाति वैश्य निवासी ताम्बी हाउस कोठी दलवीर सिंह एस.पी. ऑफिस के पास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज0) के पक्ष में कर दिया जावेगा।
(उपायुक्त) भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांकः न.नि.भ./ स्कीम /2026-27/10745 **सार्वजनिक विज्ञप्ति** दिनांक :
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों द्वारा अपने भूखण्ड का नियमन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदनों के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञिप्त के प्रकाशन के सात दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देवें अन्यथा आवेदकों के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र.सं.	ऑनलाइन नं.	आवेदक का नाम	भूसं	योजना	आवेदन
1.	444080	रजनी / पूरन सिंह	77	सुभाष नगर-2	लीजडीड
2.	444101	दयावती / सुभाष	145	केशव नगर	लीजडीड
3.	444182	किशन लाल / बाबू पहलवान	91	तिलक नगर-6	लीजडीड
4.	444192	शिव कुमार गर्ग / महेशचंद गर्ग	63	सुभाष नगर	लीजडीड
5.	444244	सरोज / अतर सिंह	21	संजय नगर-4	लीजडीड
6.	444306	ओमवती / टीकेन्द्र	529A	सुभाष नगर-1	लीजडीड
7.	444314	मांगेलाल / अमर सिंह	123	तिलक नगर	लीजडीड
8.	444377	देवेन्द्र सिंह / महेन्द्र सिंह	62A	गीता कॉलोनी	लीजडीड
9.	444420	लोटन सिंह/प्रेम सिंह	60	बृजनगर-3	लीजडीड
10.	442931	रश्मी, सुशीला / रविन्द्र कुमार, सुरेश चंद अग्रवाल	21 D 3	75 बीघा	लीजडीड
11.	443113	त्रिपाठी, अनिल कुमार / अनिल कुमार, सुरेश चंद	21 D 4	75 बीघा	लीजडीड
12.	443026	अनिल कुमार, रविन्द्र कुमार / सुरेश चंद	21 D 2	75 बीघा	लीजडीड
13.	442033	रविन्द्र कुमार, अनिल कुमार / सुरेश चंद	21 D 1	75 बीघा	लीजडीड
14.	444426	विजय कुमार कटारा / रमेश चंद कटारा	501	न्यू आदर्श कॉलोनी	लीजडीड
15.	444449	लक्ष्मी नारायण/भगवान सिंह	149A	सजय नगर-4	लीजडीड

प्रभारी अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

नाम परिवर्तन

नक्ष जायसवाल पुत्र श्री गणेश माहुर के स्कूल रिकॉर्ड एवम् अंक तालिका में माता का नाम सीता देवी दर्ज हो गया है जो भूलवश दर्ज हो गया था। जिसे सीता जायसवाल करवाना चाहते है। भविष्य में नक्ष के समस्त रिकार्ड में सीता जायसवाल पत्नी श्री गणेश माहुर के नाम से ही जाना जावे। ग्राम-वनस्थली, तहसील निवाई, जिला टोंक (सीता जायसवाल)

सार्वजनिक नोटिस मै मेरे अभिभाष्यगण राकेश कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह व श्रीमति संतोष देवी धर्मपत्नि श्री राकेश कुमार, निवासीगण ग्राम कोलिन्डा का बास, नार्थ, झुन्झुनू हाल निवासीगण प्लॉट नं. 21, योजना श्री गणेशम, ग्राम चक पीथावास उर्फ बडारामा, जयपुर के निर्देशानुसार आपको यह सार्वजनिक नोटिस इस प्रकार देता हूँ:- यह आम जनता और सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिये है कि मैं संतोष देवी पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी कोलिन्डा का बास, नार्थ, झुन्झुनू को अपनी स्व-अर्जित चल और अचल संपत्ति से अपने पुत्र अनुज कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार व पुत्रवधु श्रीमति पूनम पत्नि श्री अनुज कुमार निवासीगण कोलिन्डा का बास, नार्थ, झुन्झुनू को उसके अवांछित, अनुशासनहीन और पारिवारिक मर्यादा के विरूद्ध आचरण के कारण बेदखल (Disown) करता हूँ। आज से हमारे और हमारे परिवार का इस अर्नुज कुमार व पुत्रवधु पूनम से कोई संबंध नही है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इसके साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार करता है, तो उसके लिए मैं या मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।
Mamraj Jat, Advocate, Mob.: 9413972898

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6/(DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N./2026/1149 Date : 11-08-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3545466	On Divider Mittal Goverments Ke Samne Main Sodala Chauraha Ward No.47, Jaipur
2	IN 3533048	On Row Yoga Park Bhaskar Colony, Ward No.06, Surya Vihar Vistar, Jhotwara, Jaipur
3	IN 3611625	On Inside Boundary Wall, Imali Wali Bagichi Ratnavali Showroom Ke Pass, Mount Road Shankar Nagar, Ward No.10, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत - तृतीय,
जेएलएन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर - 0141-4901853
कमांक - 2751 दिनांक 05/08/26
आम जाहिर सूचना
आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 5/MA/146 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर का आवंटन श्री गोपाल पुत्र श्री लगनाथ को किया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3493 दिनांक 24.02.2007 जारी किया गया था। उक्त आवंटन पत्र अपंजीकृत है । खातेदार श्री रामनाथ पुत्र स्व0श्री रघुनाथ के द्वारा भूखण्ड का मुख्यारनामा आम श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द को नियुक्त किया गया था। उक्त मुख्यारनामाआम श्री एसडीडी गुप्ता नोटरी पब्लिक, जयपुर से दिनांक 21.03.2007 सम्पापित है । तत्पश्चात मुख्यारनामाआम धारक श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द के द्वारा उत्तविकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री अशोक अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री एस0एल0 अग्रवाल को कर दिया गया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 07.04. 2007 को करवाया गया । तत्पश्चात श्री अशोक अग्रवाल पुत्र स्व0श्री एस0एल0 अग्रवाल के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री इन्दर महावना पुत्र श्री रामकिशोर महावना को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 12.06.2020 को करवाया गया। श्री इन्दर महावना पुत्र श्री रामकिशोर महावना के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद की प्रति, अण्डरटेकिंग, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छाया प्रति, स्वयं एवं गवाह का पहचान पत्र प्रस्तुत कर उक्त विकसित भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर उक्त भूखण्ड का नवीन पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन किया गया है । उक्त हस्तान्तरण के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्ति गत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री इन्दर महावना पुत्र श्री रामकिशोर महावना का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर उनके पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी ।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत तृतीय रा.आ.म.जयपुर

आम सूचना मै नासिर खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद, उम्र 51 वर्ष निवासी प्लाट सं. 277, केसर वाटिका, खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर, राज0 का निवासी हूँ तथा ग्राम खो-नागोरियान पटवार क्षेत्र खो-नागोरियान भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील संगानेर, जिला जयपुर मे स्थित खाता नया 708 पुराना 203 मे खसरा नं. 3818/2, रकबा 0.3700 हैक्टयर, खसरा नं. 3849/1, रकबा 0.2500 हैक्टयर, खसरा नं. 3855/1, रकबा 0.2000 हैक्टयर, खसरा नं. 3856/2, रकबा 2.1700 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.9900 हैक्टयर (12 बीघा) कृषि भूमि स्थित है किजसमे नागरिकर गृह निर्माण सहकारी समिती लिमिटेड के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ स्कीम केसर वाटिका विस्तार सृजित की जा चुकी है, जिसमे मै बतौर संयोजक के पद पर हूँ तथा उक्त आराजी कृषि भूमि के संबंध मे भू-स्वामी ह्ा0 राजकुमार मेहता व कुमुद मेहता से न्यायिक वाद-विवाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। उक्त भू-स्वामी ह्ा0 राजकुमार मेहता के अधिवक्ता निर्मल सोलंकी पुत्र श्री आनंदी प्रसाद सोलंकी निवासी प्लॉट नं. बी 45 अमर नगर खातीपुरा जयपुर के द्वारा मेरे व ह्ा0 राजकुमार मेहता के मध्य राजीनामा करवाने की एवज में भूखण्ड सं. 20, केसर वाटिका विस्तार मे स्थित कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भूखण्ड का आवंटन पत्र अपनी बहन पुष्पा सोलंकी के नाम से मुझसे रोखाद्यही कारित कर प्राप्त कर लिये, जिसके संबंध मे मेरे द्वारा एक परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी जाँच पुलिस